UPRB010032202026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) रायबरेली

पीठासीन अधिकारी– (अजय कुमार–III)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1379/2026

संजय पासी उम्र 43 वर्ष पुत्र जगजीवन राम, निवासी हिलगी, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली।

––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली।

––––––अभियोगी

दिनांक–03.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त संजय पासी की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **100/2026**, धारा **303(2), 317(2) BNS तथा धारा 136 विद्युत अधिनियम** थाना कोतवाली नगर, जिला रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि माननीय जिला न्यायालय को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०बी० अन्दर ग्राउण्ड लाइन बिछाने के लिए रेलवे लाइन के पास निकट चंपा देवी मंदिर अंडरपास के बगल में तीन ड्रम केबिल रखी हुई थी। दिनांक 25.04.2026 को रात्रि में लगभग 00.52 बजे (तद्दिनांक 26.04.26) को रायबरेली निवासी एक हाइड्रा मालिक श्री अकील द्वारा दूरभाष नं0 82996XXXXX से विभाग एक संविदाकर्मी श्री परमेन्द्र कुमार उर्फ रितु को सूचना दी गई कि उक्त केबिल कुछ लोगों के द्वारा मेरी हाइड्रा की मदद से दो ट्रको में लोड किया जा रहा है, जिसकी सूचना मुझे मेरे ड्राइवर शिवा पासवान द्वारा दी गई है। सूचना पाने पर मेरे कान्ट्रेक्टर खुर्शीद खान को साथ लेकर मैं एस0डी0ओ0 साहब श्री सौरभ जायसवाल को सूचना देते हुए संविदाकर्मी परमेन्द्र उर्फ रितु को साथ लेकर मौके पर पहुंचा तो पता चला कि दोनों ट्रक अभी–अभी माल लोडकर त्रिपुला की तरफ निकले है। हाइड्रा ड्राइबर के बताने पर हम लोग त्रिपुला चौराहे के पहले ही पहुंचकर दोनों ट्रको को रोक लिया गया, जिसमें से एक ट्रक सं0 UP42CT6869 पर दो केबिल के ड्रम तथा दूसरे DCM ट्रक सं० UP24AT3678 पर एक ड्रम केबिल लदा था, जिसके ड्राइवर को रोककर उनसे उनका

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.07.03 16:57:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम संजय पासी पुत्र रामजियावन निवासी–सुरासराय थाना बीकापुर जनपद अयोध्या तथा संजय पासी पुत्र श्याम सुंदर शर्मा निवासी जादवपुर थाना हैदरगंज अयोध्या बताया गया तथा उनके द्वारा बताया कि उक्त केविल को संजय पासी पुत्र जगजीवन राम पता–हिलगी थाना हरचन्द्रपुर जिला रायबरेली (मो0 नं0– 93548XXXXX व 94501XXXXX) द्वारा लोड कराया गया था, जो अभी–अभी यहां से अपने दो अन्य साथियों के साथ भाग गया है। मौके पर डायल 112 को सूचना देकर पुलिस बुलवायी गयी थी। बातचीत चल ही रही थी कि मौका पाकर दोनों ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गये थे। मौके पर ही दोनों ट्रक केबिल लदे हुए खड़े कर दिये गये थे जो कि अभी वही खडे है। अतः प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उपरोक्त अपराध में झूठा फर्जी फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक राजनीतिक व्यक्ति है, जिसकी समाज व क्षेत्र में काफी अच्छी छबि बनी हुई है तथा प्रार्थी/ अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2004 से काम करता है और वर्तमान समय में जिला कार्य समिति सदस्य के पद पर नियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त को चुनावी रंजिश व भविष्य खराब करने के उद्देश्य से प्रार्थी/अभियुक्त के विरोधियों द्वारा पुलिस व बिजली विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ करके उपरोक्त अपराध में झूठा एवं फर्जी फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चोरी की घटना कारित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है, दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो भी साक्षी है वह हितबद्व साक्षी है। वादी मुकदमा व पुलिस सांठ–गांठ कर प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले मे गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। प्रार्थी/अभियुक्त अपराध उपरोक्त की विवेचना में पूर्ण सहयोग कर रहा है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाला एकमात्र गरीब व्यक्ति है घर में उसके बूढे मां–बाप है, जेल में निरूद्ध रहने प्रार्थी के माता–पिता का जीविकोपार्जन प्रभावित होगा। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने व अपमानित करने के उद्देश्य से उपरोक्त झूठे अभियोग में फंसाया जा रहा है। प्रार्थी/ अभियुक्त दौरान विचारण मुकदमा भारत देश से बाहर नहीं जायेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को आज तक किसी भी संज्ञेय या असंज्ञेय मामले में दण्डित नहीं किया गया है न ही कारावास की सजा ही दी गयी है। प्रार्थी/ अभियुक्त सदैव न्यायालय श्रीमान जी के आदेश का अनुपालन करेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न किसी सत्र न्यायालय में में और न ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में ही दिया गया है और न ही लम्बित है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी

विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है तथा दौरान विवेचना/विचारण मुकदमा में दी गयी अग्रिम जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के आदेशानुसार नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित आता रहेगा, न ही मुकदमें में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना/विचारण मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियुक्त द्वारा यह बहस की गई कि अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के विरोधियों द्वारा पुलिस व बिजली विभाग के कर्मचारियों से साठगांठ करके उपरोक्त अपराध में झूठा एवं फर्जी फंसा दिया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की चोरी की घटना कारित नहीं की गयी है। अभियुक्त राजनैतिक करने वाला व्यक्ति है तथा क्षेत्र व समाज के गरीबों के हित में कार्य करता है तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाला एक मात्र गरीब व्यक्ति है। घर में बूढ़े माँ–बाप है, जेल में निरूद्ध रहने से उसके माता–पिता का जीविकोपार्जन प्रभावित होगा। अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए यह बहस की गई कि अभियुक्त द्वारा चोरी करने की नियत से रात्रि के समय दिनांक 25/26.04.2026 को अपने साथी बद्री प्रसाद व सूर्यमणि की डीसीएम बुलवाकर तार चोरी से लदवाकर ले जा रहे थे। याची के साथ दो अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात है, जिनका नाम प्रकाश में नहीं आया है। अभियुक्त व उसके साथी डीसीएम व चोरी किये गये माल को मौके पर छोड़कर फरार हो गये है। मौके पर मौजूद व गिरफ्तार हुए अभियुक्तों द्वारा इस घटना में अभियुक्त संजय पासी की संलिप्तता की पुष्टि की गयी है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिकथित रूप से रंजीत कुमार अवर अभियंता द्वारा सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 25.04.2026 को रात्रि में लगभग 00.52 बजे तददिनांक 26.04.2026 को SDO एवं अन्य के साथ त्रिपुला चौराहे पर दो ट्रकों को रोका गया जिसमें एक ट्रक संख्या UP42CT6869 पर दो केबिल के ड्रम तथा दूसरे DCM ट्रक सं० UP24AT3678 पर एक ड्रम केबिल लदा पाया गया तथा जिसके ड्राइवर को रोककर उनसे उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम बद्री प्रसाद पुत्र रामजियावन निवासी–सुरासराय थाना बीकापुर जनपद अयोध्या तथा सूर्यमणि शर्मा पुत्र श्याम सुंदर शर्मा निवासी जादवपुर थाना हैदरगंज अयोध्या बताया गया। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उक्त केबिल को संजय पासी द्वारा लोड कराया गया था। मौका पाकर दोनों ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गये यद्यपि अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी होना नहीं पाया गया है फिर

भी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत **जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा 12 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है जबकि** थाने से प्राप्त आख्या के पैरा 12 में आपराधिक इतिहास संलग्न सी०डी० होना कहा गया है जिसमें वर्तमान अपराध संख्या 100/2026 के अलावा अन्य चार मुकदमे अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हैं तथा जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो संलग्न सी०डी० के अनुसार निम्नवत हैं

1.अप०सं० 200/2018 थाना हरचन्दपुर, रायबरेली अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं०,

2. अप०सं० **13/2026** थाना हरचन्दपुर, रायबरेली अंतर्गत धारा 115(2), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता,

3. अप०सं० 19/2026 थाना हरचन्दपुर, रायबरेली अंतर्गत धारा351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता तथा

4. अप०सं० 297/2020 थाना कोतवाली नगर,रायबरेली अंतर्गत धारा 56 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 188, 269, 270 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3, 4 महामारी अधिनियम 1897 में–

अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किये गये तथा आरोप पत्र दाखिल किये गये। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से आपराधिक इतिहास छिपाया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण दोष पर बिना विचार व्यक्त किये न्यायालय का मत है कि अभियुक्त संजय पासी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–03.07.2026

(अजय कुमार–III)
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) रायबरेली
जे०ओ० कोड–UP2644

Vishnu Prakash Srivastava
(Stenographer)